राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 323/2010/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स दी इण्डिया थर्मेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. वी. सोनी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06/05/2015

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) की अपील संख्या 83/आरएसटी/जेयूबी/08–09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.01.2003 से आरोपित शास्ति रूपये 54,793/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2003 को जोधपुर–पाली रोड़ पर वाहन संख्या यू.पी.78/ए.एन./0778 को चैक किये जाने पर वाहन में कानपुर से बाड़मेर के लिये **'थर्मिट पोरशन, मशीनरी व औजार'** परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 294 दिनांक 20.01.2003 एवं चालान संख्या 1046 दिनांक 20.01.2003 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों के अनुसार मैसर्स दी इण्डिया थर्मिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर द्वारा 500 कार्टन थर्मिट पोरशन व अन्य मशीनरी रेलवे के परमानेंट वे इंस्पेक्टर (निर्माण) नॉर्दन रेलवे, बाड़मेर को परिवहनित की जा रही थी। उक्त दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए नहीं पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(2) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त

मनोहर पुरी

लगातार.....2

नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए के बिना माल परिवहनित किये जाने के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 54,793/— आरोपित करने का आदेश दिनांक 30.01.2003 को पारित किया गया।

3. प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.2004 से स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील संख्या 852/2004 राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 6.9.2005 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर राजस्व द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन संख्या 290/2006 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 555/2003 में पारित निर्णय दिनांक 5.9.2007 के आलोक में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.8.2009 को निर्णय पारित करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राज्य के बाहर से थर्मिट पोरशन, मशीनरी व औजार आयात किये गये हैं, जो कि राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 के तहत अधिसूचित वस्तु हैं, इसलिए वक्त परिवहन घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता थी। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 555/03 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स देव ट्रेडिंग कम्पनी** प्रकरण की संलग्न सूची—ए के क्रम संख्या 244 पर इस प्रकरण को भी अंकित किया है। सूची-ए में उन प्रकरणों को लिस्टिंग किया है, जिनमें अधिनियम की धारा 78(2) के तहत विहित दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र नहीं पाये गये हैं। इसलिए सक्षम अधिकारी ने शास्ति विधिक रूप से आरोपित की थी, लेकिन अपीलीय अधिकारी ने आयातित वस्तु अधिसूचित नहीं होना मानते हुए घोषणा प्रपत्र की आवश्यकता नहीं बताते हुए धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो कि विधिक भूल है। अतः अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन में कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में राज्य के बाहर से आयातित माल थर्मिट पोरशन, मशीनरी व औजार हैं, जो कि राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 के तहत अधिसूचित वस्तुएं नहीं हैं। सक्षम अधिकारी अथवा विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने यह प्रमाणित भी नहीं किया है कि विवादित आयातित माल राज्य सरकार द्वारा कब तथा किस अधिसूचना से अधिसूचित किया गया है। अतः आयातित माल के साथ घोषणा—पत्र एस.टी.18ए की आवश्यकता ही नहीं थी। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई जांच की जाकर इन्हें असत्य अथवा कूटरचित प्रमाणित भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कानपुर से बाड़मेर के लिये थर्मिट पोरशन, मशीनरी व औजार परिहवहनित किये जा रहे थे। उक्त माल प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रेलवे को कार्यादेश संख्या Dy CE/C-II/JU/74-W-3/2002-03 दिनांक 31.10.2002 के क्रम में प्रेषित किया गया है। माल के साथ एक्साईज इन्वॉयस कम चालान संख्या 1046 दिनांक 20.01.2003 एवं बिल्टी संख्या 294 दिनांक 20.01.2003 संलग्न पाये गये। उक्त दस्तावेजों में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा कूटरचित होने सम्बन्धी कोई टिप्पणी सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश में नहीं की गयी है। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति केवल इस आधार पर आरोपित की गयी है कि माल के साथ घोषणा—पत्र एस.टी.18ए संलग्न नहीं था। शास्ति आरोपण से पूर्व सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह यह प्रमाणित करते कि आयातित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है अथवा वक्त जांच पाये गये दस्तावेज मिथ्या थे। उक्त दोनों स्थितियों का प्रकरण में पूर्णतया अभाव रहता है। दौराने बहस विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक भी यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि विवादित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिसके लिये घोषणा—पत्र एस.टी. 18ए की आवश्यकता थी।

लगातार.....4

8. हस्तगत प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित **एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 555/07** के निर्णय के साथ संलग्न सूची की क्रम संख्या 244 पर अंकित किया है, जो कि दायर निगरानी के आधारों पर आधारित है। जबकि प्रश्नगत वस्तुएं अधिसूचित नहीं होने के कारण इनके आयात के लिये घोषणा प्रपत्र की अनिवार्यता नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त कर कोई विधिक भूल नहीं की है तथा हमारे समक्ष अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण उपलब्ध नहीं है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 06.05.15

(मनोहर पुरी)
सदस्य